

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सौम्या झा, आईओएस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

16 / 2024
15.02.2024

हरिराम पुत्र हरिनारायण जाति अहीर निवारी मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज0
-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक जिला-टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 16.01.2024 मिसल नम्बर 544 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री रजनीश यादव, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 02.07.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3661/3167 रकबा 1.0117 है0 किरम चरागाह वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर चना की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से वेदखल करने, 57/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने अपीलांट के विरुद्ध गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ ने अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 3661/3167 का रकबा बहुत बड़ा है। अपीलांट का उक्त भूमि के किस भाग पर कब्जा है तथा किस और है को साबित किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 3661/3167 रकबा 1.0117 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर चना की फसल काशत कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एंव राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की ओर से हरिराम की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 3661/3167 रकबा 1.0117 है0किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर चना की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 668/2023 निर्णय दिनांक 01.02.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्त ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 11.06.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजीयात पर से अपना कब्जा हटा लिया है,उक्त भूमि पर मेरा अब किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है,उक्त भूमि पर भविष्य मे किसी तरह का कोई कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 16.01.2024 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्त पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक